

# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोडाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-64/2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
20.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि <u>16.8.18</u> को निर्धारित की जाती है।</p> <p>अभिलेख <u>16.8.18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Seen</i> <u>16/8/18</u> Advocate</p>	
16.08.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 901, दिनांक 09.08.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.08.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री लेंगा गागराई, पिता-भोगो गागराई, जाति-हो (अ.ज.जा.) ग्राम-कोलचोकड़ा, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1903 की धारा 46(प) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-नगरपालिका वार्ड नं०-05, थाना नं०-68, खाता नं० 128, प्लॉट नं० 87 ए०, रकवा 0.16 ए०, क्रेता नागी बोदरा, पिता-प्रधान बोदरा, ग्राम-उलीबेड़ा, जाति-हो (अ.ज.जा.), पो०-चैनपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इशतेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक श्री लेंगा गागराई, पिता-भोगो गागराई, जाति-हो (अ.ज.जा.) ग्राम-कोलचोकड़ा, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इशतेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता थाना-चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम चाईबासा के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का दोनों का जाते हो (अ.ज.जा.), समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा 2.62 ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इशतेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता नागी बोदरा, पिता-प्रधान बोदरा, ग्राम-उलीबेड़ा, जाति-हो (अ.ज.जा.), पो०-चैनपुर, थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध कराये।</p> <p>लेखापित <u>16-8-18</u> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोडाहाट, चक्रधरपुर</p> <p style="text-align: right;"><u>16-8-18</u> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोडाहाट, चक्रधरपुर</p>	